



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2772]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 20, 2018/आषाढ़ 29, 1940

No. 2772]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 20, 2018/ASHADHA 29, 1940

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2018

का.आ. 3547(अ).—केंद्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 59 के साथ पठित धारा 55 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. ओंकार नाथ सिंह को तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक पौधा किस्म संरक्षण अपील अधिकरण के तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 1-9/2015-एस.डी. V]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2018

S.O. 3547(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of section 55 read with section 59 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby appoints Dr. Onkar Nath Singh as Technical Member of the Plant Varieties Protection Appellate Tribunal, for a period of three years or until further orders.

[F. No. 1-9/2015-SD. V]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.